बिहार में गया, पटना और शाहाबाद में ग्राम विद्युतीकरण

4055. **श्री एस० पी० वर्मा :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण बिहार में गया, पटना और शाहाबाद में ग्राम विद्युतीकरण के लिए मंजूर शुदा योजनाओं पर कार्य गत चार वर्षों से अपेक्षित सामग्रियों की कमी से रुका पड़ा है अथवा अधूरा पड़ा है;

(ख) क्या बिहार राज्य बिजली बोर्ड के पास समूचे अधिकार केन्द्रित है और इसके परिणामस्वरूप अपेक्षित सामग्री समय पर उपलब्ध नही होती है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त बोर्ड में केन्द्रित अधिकारों को विकेन्द्रित करने का है ताकि कार्य मे तेजी लाई जा सके और ग्राम्य योजनाओ को समय पर पूरा किया जा सके ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील): (क) से (ग). बिहार मे ग्राम विद्युतीकरण स्कीम की प्रगति पर वित्तीय साधनों की तंगी और कच्चे सामान की देशव्यापी कमी का भी प्रभाव पड़ा है। इस्पात के लिए मांग पत्रों के सम्बन्ध में अग्रिम आयोजना को कार्यरूप देने के लिए बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड ने अनेक उपाय किये हैं। देश में बने सामान के नियतन की व्यवस्था प्राथमिकता के आधार पर भी की गई है। अभी तक 1971 वर्ष के दौरान 16,000 मीटरी टन की व्यवस्था की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त बिहार में विद्युत् विकास स्कीमों के लिए लगभग 2500 मीटरी टन इस्पात का आयात भी किया जा रहा है। सामग्री के प्रबन्ध में सुधार की बात राज्य विद्युत् बोर्ड और राज्य सरकार की सामर्थ्य के अंतर्गत है और इस तरह के सुधार के प्रस्ताव उनके विचाराधीन हैं। बहरहाल, चौथी योजना के दौरान ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए कार्य प्रणाली अनुकूल की जा रही है। अनुमान है कि चौथी योजना के अंत तक 12,200 ग्रामों का विद्युतीकरण हो जाएगा और 1,75,000 सिंचाई पम्प सेटों को बिजली से चलाया जाएगा जबकि इसकी तुलना में चौथी योजना के आरम्भ में 6,350 ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया था और 50,000 पम्प सेट बिजली से चलाये जा रहे थे।

Implementation of recommendations made by Law Commission

4056. SHRI C CHITTIBABU : Will the Minister of LAW AND JUSTICE be pleased to state :

(a) the number of Reports submitted so far by the Law Commission ;

(b) the number of recommendations so far accepted by Government , and

(c) to what extent these recommendations have been implemented ?

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI H. R. GOKHALE) : (a) The Law Commission has submitted 42 Reports. A statement giving the subject matter of the Reports is placed on the Table of the House. [Placed in Library. *See* No. LT—608/71]

(b) & (c). The Commission has been submitting reports on various subjects from time to time, which are forwarded to the Ministry or Department concerned with the subject matter of the Report, for implementation. The reports on the following topics the numbers of which are specified after the title, Parliamentary Legislation relating to Sales-tax (2) the Limitation Act, 1908. (3) the proposal that High Court should sit in benches at different places in a State (4), British Statutes Applicable to India (5), Partnership Act, 1932 (7), the Sale of Goods Act, 1930 (8), the Specific Relief Act, 1877 (9), the Income-tax Act, 1922 (12), the Reform of Judicial Administration (14), the Official Trustees Act, 1913 (16), the Administrator General's Act, 1913 (19), Law of Hire-Purchase (20), the Law of Marine Insurance (21) Law of Foreign Marriages (23), Evidence of Officers about forged Stamps, Currency Notes etc. (Sec. 509A Cr. P. C. as proposed) (25), the Indian Oaths Act, 1873,